

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pccfedjhk@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक- 462

राँची, दिनांक 20-04-2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार

विषय :-

गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.356 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक वनभूमि -37/2016-5229 व०प० दिनांक 13.12.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सदर्थ में सूचित करना है झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सारण्डा वन क्षेत्र में गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र में पड़ने वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.356 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु प्रदत्त सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-I) में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के पत्रांक 1047 दिनांक 15.04.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार शर्तों के अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र०सं०	शर्तें	अनुपालन
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	अपयोजन स्वीकृत वनभूमि की वैधानिक स्थिति नहीं बदले जाने की शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है। (अनुलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या- WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाले 2.356 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित 2.356 हे० वनभूमि हेतु संगणित N.P.V. की राशि कुल 2457308.00 (चौबीस लाख सत्तावन हजार तीन सौ आठ) रु० मात्र प्रमंडलीय कार्यालय के माँग पत्र के अनुरूप कॉरपोरेशन बैंक, साकची शाखा, जमशेदपुर के माध्यम से Online Challan Generate कर Ad-hoc CAMPA Fund में जमा किया गया है जिसका Transaction No - 04253016111 dt 22.03.2018 है। चालान की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-2)

अनुलग्नक-2
20.04.18

3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता समर्पित की गई है। (अनुलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि कुल 2457308.00 (चौबीस लाख सतावन हजार तीन सौ आठ) रु0 मात्र को कैम्पा संख्या-520101263743558 में जमा कर दी जायेगी संबंधी वचनबद्धता समर्पित की गई है। (अनुलग्नक-4)
5	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के क्रम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 57 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है कि कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में 57 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। (अनुलग्नक-5)
6	पथ निर्माण के उपरान्त पथ के किनारे, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि पथ के किनारे, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। (अनुलग्नक-6)
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-7)
8	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा। (अनुलग्नक-8)
9	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच कराई जा सकती है। (अनुलग्नक-9)
10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/टेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों/टेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। (अनुलग्नक-10)
11	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। (अनुलग्नक-11)

अनुलग्नक-11
20.04.18

12	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि भूमि के अपयोजन स्वीकृत्यादेश में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-12)
----	---	--

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन किया गया है अथवा वचनबद्धता दी गई है। साथ ही, CA/Levies Format भर कर कार्यानुमति की मांग की गई है। अनुपालन प्रतिवेदन की दो प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 2.356 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए स्टेज-II एवं कार्यानुमति की स्वीकृति की दिशा में इस शर्त के साथ कि पथ-निर्माण के क्रम में अपयोजित वनभूमि को छोड़कर अन्य किसी वनभूमि पर कोई कार्य नहीं किया जायेगा ना ही अपशिष्ट, आदि का भंडारण किया जायेगा, अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। अनुपालन प्रतिवेदन भेजने हेतु वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु०:- अनुपालन प्रतिवेदन दो प्रतियों में।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापक- 462

दिनांक-20/4/18

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को कार्यालय अभिलेख हेतु अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.04.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kedam
20.4.18

156

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर।

(वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो0-सोनारी, जमशेदपुर-831011)

दूरभाष संख्या- 0657-2222995, मेल- rccf.jsr@gmail.com



पत्रांक.....1047 / जमशेदपुर -11, दिनांक.....15/4/18 जहाँ है लटियाली ।
वहाँ है खुशाली ॥

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

—सह—

कार्यकारी निदेशक,

बंजर भूमि विकास बोर्ड,

झारखण्ड, राँची ।

विषय :-

गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.356 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक वनभूमि - 37 / 2016 - 5229 व०प० दिनांक 13.12.2017

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सदर्थ में सादर सूचित करना है झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राँची के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सारण्डा वन क्षेत्र में गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र में पड़ने वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.356 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु सशर्त सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) प्रदान की गई है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 784 दिनांक 13.04.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयक मामले में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राँची के द्वारा लगाए गए शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार शर्तों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

कमांक	अपयोजन स्वीकृत्यादेश शर्त	अनुपालन
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	अपयोजन स्वीकृत वनभूमि की वैधानिक स्थिति नहीं बदले जाने की शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है। (अनुलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या- WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के	गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित 2.356 हे० वनभूमि

	अनुरूप अपयोजित होने वाले 2.356 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	हेतु संगणित N.P.V. की राशि प्रमंडलीय कार्यालय के माँग पत्र के अनुरूप कोरपोरेशन बैंक, साकची शाखा, जमशेदपुर के माध्यम से Online Challan Generate कर Ad-hoc CAMPA Fund में जमा किया गया है जिसका Transaction No – 04253016111 dt 22.03.2018 है। चालान की प्रति संलग्न है।(अनुलग्नक-2)
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना वाध्यकारी होगा।	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता समर्पित की गई है।(अनुलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि को कैम्पा संख्या-520101263743558 में जमा कर दी जायेगी संबंधी वचनबद्धता समर्पित की गई है। (अनुलग्नक-4)
5	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के कम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 57 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है कि कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में 57 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।(अनुलग्नक-5)
6	पथ निर्माण के उपरान्त पथ के किनारे, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि पथ के किनारे, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करा दिया जायेगा। (अनुलग्नक-6)
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को वाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-7)
8	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा। (अनुलग्नक-8)
9	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच कराई जा सकती है। (अनुलग्नक-9)
10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। (अनुलग्नक-10)

11	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। (अनुलग्नक-11)
12	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि भूमि के अपयोजन स्वीकृत्यादेश में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-12)

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 784 दिनांक 13.04.2018 के साथ प्राप्त अनुलग्नकों की 4(चार) प्रतियाँ अत्रसह संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में उपरोक्त अनुपालन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम,
जमशेदपुर

अनुलग्नक-1	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। (अनुलग्नक-11)
अनुलग्नक-2	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि भूमि के अपयोजन स्वीकृत्यादेश में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-12)



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा
Email-cfchaibasa@gmail.com, po-chaibasa, west singhbhum.



पत्र संख्या : 784 दिनांक: 13/04/2018

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
 सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय:-

गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायकबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुर्ननिर्माण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 2.356 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रसंग:- (1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक- 1198 दिनांक 22.12.2017 ।
 (2) आपका ज्ञापांक-19 दिनांक 03.01.2018 ।
 (3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक-752 दिनांक 13.04.2018 ।

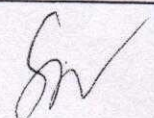
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र संख्या-वनभूमि-37/2016-5229 दिनांक 13.12.2017 द्वारा विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को कुल-12 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक अपयोजन स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सैद्धान्तिक अपयोजन स्वीकृति में लगाई गई शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक- 752 दिनांक 13.04.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है :-

क्रमांक	अपयोजन स्वीकृत्यादेश शर्त	अनुपालन
1	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	अपयोजन स्वीकृत वनभूमि की वैधानिक स्थिति, नहीं बदले जाने की शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। इसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है।(अनुलग्नक-1)

Signature

2	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या- WP (C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाले 2.356 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	गुवा लिंक पथ MDR (187) बरायबुरु गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सन्निहित 2.356 हे० वनभूमि हेतु संगणित N.P.V. की राशि 2457308.00 रुपये इस कार्यालय के माँग पत्र के अनुरूप कोरपोरेशन बैंक, साकची शाखा, जमशेदपुर के माध्यम से Online Challan Generate कर Ad-hoc CAMPA Fund में जमा किया गया है जिसका Transaction No - 0425301611 dt 22.03.2018 है। चालान की प्रति संलग्न है।(अनुलग्नक-2)
3	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना वाध्यकारी होगा।	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता समर्पित की गई है।(अनुलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV की राशि को कैम्पा खाता में जमा कर दी जायेगी संबंधी वचनबद्धता समर्पित की गई है। (अनुलग्नक-4)
5	प्रस्तावित वनभूमि में पथ निर्माण के कम में यथासंभव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 57 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है कि कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में 57 वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।(अनुलग्नक-5)
6	पथ निर्माण के उपरान्त पथ के किनारे, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि पथ के किनारे, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण कराया जायेगा।(अनुलग्नक-6)
7	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को वाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि भविष्य में यदि राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (अनुलग्नक-7)
8	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि वनभूमि में किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा। (अनुलग्नक-8)
9	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है, तो परियोजना में कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी



	तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच कराई जा सकती है। (अनुलग्नक-9)
10	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। (अनुलग्नक-10)
11	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। (अनुलग्नक-11)
12	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित की गई है कि भूमि के अपयोजन स्वीकृत्यादेश में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा (अनुलग्नक-12)। इस प्रमण्डल द्वारा भी इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

उपरोक्त के आलोक में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की 04 (चार) प्रतियाँ अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0:यथोक्त।

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।